Madhya Pradesh Civil Judge (Mains) 2015

Article & Summary Writing · compulsory paper

Second Question Paper · Time Allowed – 3:00 Hours · Maximum Marks – 100

Instructions

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Question No. 1 [30 marks]

Write an article in Hindi or English, on any one of the following *social* topics:
निम्नलिखित *सामाजिक* विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :

(i) Smart City Project
स्मार्ट सिटी परियोजना
(ii) Role of Politicians in Sports Associations
खेल संघों में राजनीतिज्ञों की भूमिका

Question No. 2 [20 marks]

Write an article in Hindi or English, on any one of the following *legal* topics :
निम्नलिखित *विधिक* विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :

(i) Euthanasia
यूथेनसिया (इच्छा मृत्यु)
(ii) What should be the age for a Juvenile under Juvenile Justice Act ?
किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल अपचारी के लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए ?

Question No. 3 [20 marks]

Summarize the one of the following English /Hindi passage –
निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए –

1- Plaintiffs “A” and “B” are owners of house No. 32 situated in ward No.10 of the city of Hoshangabad. The defendant “K” is tenant in respect of two rooms situated on the ground floor of the house for non-residential purposes @ Rs. 3000 per month, since the life time of father of the plaintiffs, who is no more. The tenancy begins from the first date of the month and expires on the last date of the month.

2- Another unmarried brother of the plaintiffs' “C” was residing in the remaining portion of the ground floor and first floor of the house, who died on 04-02-14. The defendant 'K' used to pay the rent to 'C', namely, the brother of the plaintiff and used to obtain the receipts. However, from 1.2.2014, the defendant did not tender the rent despite several oral demands made by the plaintiff and despite the notice dated 15.9.2014 which was sent by the registered post. Thus, the defendant is in arrears of rent from 01.02.2014 till the presentation of the plaint.

3- After the death of 'C', the defendant without written permission of the plaintiff had unlawfully occupied one room in ground floor and two rooms in the first floor which were in possession of 'C' and were not let out to the defendant. Prior to institution of the suit, the plaintiff sent notice to the defendant by registered post in which the demand of arrears of rent with effect from 1.2.2014 was made as well as the possession of encroached portion of the suit house was also sought but the defendant did not vacate the encroached portion of the suit premises despite the notice.

4- In his written reply sent by the defendant to the above notice of the plaintiffs before filing of the suit, the defendant has challenged the ownership of the suit house of the plaintiffs. Thus on this ground the defendant is also liable to be evicted under the M.P. Accommodation Control Act, 1961. Thus, the defendant is liable to be evicted on the grounds enumerated under Sections 12 (1) (a), (c) and (o) of the M.P. Accommodation Control Act, 1961.

5- The plaintiffs are entitled to receive the arrears of rent from 1.2.2014 till the filing of the plaint. In addition, the plaintiffs are also entitled to damages from the date of judgment till the recovery of the possession in respect of the suit accommodation at the rate of Rs.3,000/- (Rupees Three Thousand) per month and Rs.2000/- (Rupees Two Thousand) per month for the portion which has been encroached by the defendant as damages from the date of institution of the suit till the delivery of possession.

6- For the purpose of jurisdiction of the Court, the reliefs claimed in the suit have been properly valued and prescribed court fee has been paid on it. The cause of action accrued to the plaintiff to file the suit within the territorial jurisdiction of this Court on receiving of reply from the defendant.

अथवा / OR

1. वादीगण “अ” तथा “ब” होशंगाबाद शहर के वार्ड क्रमांक 10 में स्थित मकान क्रमांक 32 के स्वामी हैं। वादीगण के पिता जो अब जीवित नहीं हैं, के जीवनकाल से प्रतिवादी “क” तल मंजिल के 2 कमरों में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 3000 रुपये मासिक किराया दर पर किरायेदार है। किरायेदारी प्रत्येक माह की पहली तारीख से प्रारंभ होकर, माह की अन्तिम तारीख पर समाप्त होती है।

2. वादीगण का अन्य अविवाहित भाई “स” वादग्रस्त स्थान वाले मकान के तल मंजिल के शेष भाग तथा ऊपरी मंजिल में निवास करता था, जिसकी दिनांक 04.02.14 को मृत्यु हो गई। प्रतिवादी “क” द्वारा किराये का भुगतान वादी के भाई “स” को किया जाता रहा है और पावती प्राप्त की जाती रही है तथापि, 01.02.2014 से वादी द्वारा की गई अनेक मौखिक मांगों के बावजूद और नोटिस दिनाँक 15.09.2014 जो कि पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गई थी, के बावजूद भी प्रतिवादी ने किराया अदा नहीं किया। इस प्रकार प्रतिवादी पर 01.02.2014 से वादपत्र प्रस्तुतीकरण तक का किराया बकाया है।

3. “स” की मृत्यु के पश्चात्, प्रतिवादी ने बिना वादी की लिखित अनुमति के, भूतल का 1 कमरा और प्रथम तल के 2 कमरे जो कि “स” के आधिपत्य में थे और प्रतिवादी को किराये पर नहीं दिए गए थे, पर अवैध कब्जा कर लिया। वाद दायर करने के पूर्व वादी ने प्रतिवादी को

पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जिसमें 01.02.2014 से बकाया किराये की मांग के साथ वादग्रस्त मकान के अतिक्रमण किए हुए हिस्से का आधिपत्य भी मांगा गया किंतु नोटिस के बावजूद प्रतिवादी ने वादग्रस्त परिसर के अतिक्रमण वाले हिस्से को खाली नहीं किया।

4. वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुति के पूर्व दिये गये नोटिस का प्रतिवादी की ओर से दिये गये लिखित उत्तर में प्रतिवादी ने वादग्रस्त मकान पर वादीगण के स्वामित्व को चुनौती दी है। अतः इस आधार पर भी म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, के अन्तर्गत प्रतिवादी निष्कासन का पात्र है। इस प्रकार प्रतिवादी म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, की धारा 12 की उपधारा (1) के तीन खण्डों (a), (c) तथा (o) में से प्रत्येक के अन्तर्गत वादग्रस्त स्थान से निष्कासन का पात्र है।

5. वादीगण 01.02.2014 से वाद दायर किये जाने तक बकाया किराया प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त वादीगण निर्णय दिनाँक से आधिपत्य की प्राप्ति तक रुपये 3000/– (तीन हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से, वादग्रस्त आवास के संबंध में और रुपये 2000/– (दो हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से, अतिक्रमण किए गए हिस्से के लिए वाद दायर किये जाने की दिनाँक से आधिपत्य प्रदान किये जाने तक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

6. न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिये वाद का विधि अनुसार उचित मूल्यांकन किया गया है तथा उस पर विहित न्याय शुल्क अदा किया गया है। वादी को वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद का कारण इस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रतिवादी से जवाब प्राप्त होने पर उत्पन्न हुआ है।

Question No. 4

[15 marks]

Translate the following 15 Sentences into English :-
निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :–

1. याची एक सोसायटी का कर्मचारी था, जिसका बाद में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल में विलयन हुआ।
2. यदि प्राधिकारी नियम 16 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करता है, पृथक आरोप पत्र जारी करना अपेक्षित नहीं।
3. लघुशास्ति आरोपित करने के पहले, अनुशासनिक प्राधिकारी को अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन लेना होगा।
4. रोस्टर के अनुसार, केवल अनुसूचित जनजाति के दो अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी को पदोन्नति हेतु विचार में लिया जा सकता था।
5. इन सभी व्यक्तियों को उचित तिथि से योग्य स्थान पर रखकर वरिष्ठता सूची तैयार की जाये।
6. वादीगण अपने मुकदमे के एकमेव वादनियंत्रक हैं और संशोधन करने के लिए न्यायालय द्वारा उनपर जोर नहीं डाला जा सकता।
7. राज्य के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत करने हेतु, धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कानूनी नोटिस पुरोभाव्य शर्त है।
8. स्थाई व्यादेश के अनुतोष का दावा केवल उन व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा सकता है, जिनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने की तिथि को वाद कारण उपलब्ध है।
9. प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा निकाले गये तथ्यों के निष्कर्ष ना तो विपर्यस्त है, न ही अवैध।
10. वादी ने मूल करार इस आधार पर प्रस्तुत नहीं किया कि वह प्रतिवादी के कब्जे में है।
11. वादी द्वारा पेश की गई कहानी का उसके द्वारा प्रदत्त नोटिस में उल्लेख नहीं पाया गया।
12. व्यतिक्रम के दण्डादेश को भी तीन वर्षों के सश्रम कारावास के बजाय एक वर्ष के सश्रम कारावास की अवधि तक घटाया गया।
13. पहचान परेड के समय तथा न्यायालय में भी अभियुक्त की पहचान, आहत साक्षी की निशानदेही पर विश्वसनीय पाई गई।
14. अभियुक्त ने घटना के तुरंत पश्चात्, अपनी गिरफ्तारी के पूर्व गाँव के चौकीदार एवं पटेल के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की।
15. पश्चात्वर्ती क्रेता की अनुपस्थिति में, मध्यस्थ द्वारा केवल उन विवादों को विचार में लिया जायेगा जिनसे पश्चात्वर्ती क्रेता के हित प्रभावित ना हों।

Question No. 5

[15 marks]

Translate the following 15 Sentences into Hindi :-
निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :–

1. Dismissal of the suit by the trial Court on the ground that it is barred by limitation is illegal and the same deserves to be restored.

2. The accused gave only one blow by sharp-edged weapon, which resulted in the death of the deceased.
3. Nevertheless, it is true that male orchestral players are in an overwhelming majority.
4. The corrupt elements of the society are sucking the blood of the nation like a parasite.
5. The condition of the Government hospitals in India is miserable.
6. Innumerable people have died due to food poisoning and consumption of spurious liquor.
7. She is now their family member and the pride of their family lies in her honour.
8. He is in the habit of not making payment of rent and depositing the rent in time.
9. The children ought to be given proper reward for their hard work.
10. There is a dire need of economic reforms to improve the stagnating economic condition of the country.
11. Our army got ready to defend the Nation from the intruders.
12. Last, but not the least, India does not want to be under the pressure of any country of the world.
13. Everyone is well acquainted with the importance of computers in our day to day lives.
14. The mediator shall be guided by principles of fairness and Justice.
15. I would like to go with the majority that capital punishment should not be abolished.

De Facto IAS